

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 30 नवम्बर 2016

विषय:- विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.000 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 47.1 हे0 संरक्षित वन भूमि कु 49.098 हे0 वन भूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 57.098 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

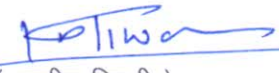
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-902/गोला-शाहजहांपुर मार्ग दिनांक-24-10-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक पोषित उ0प्र0 कोर नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत गोला शाहजहांपुर मार्ग (एस0एच0-93) के चौड़ीकरण हेतु लखीमपुर में 0.000 से 49.00 तक चौड़ीकरण हेतु 1.998 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 47.1 हे0 संरक्षित वन भूमि कु 49.098 हे0 वन भूमि तथा शाहजहांपुर में किमी0 49.000 से 59.000 तक 8.00 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 57.098 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-पी-172(1)/14-2-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 3- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 4- जिलाधिकारी, लखीमपुर व शाहजहांपुर।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, दक्षिणी खीरी व शाहजहांपुर।
- 6- मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना निर्माण भवन, 96 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।